

14/10/23

पत्रबली पेश की। वकील जयदीप उपरिवाह हैं। पत्रबली वाले
कामवेहरी . १।०५०१ अन्तर्गत अधिसूचना २३ निमम L CRE वाले
उत्तर कि इसे किये जाने बाबर नियम है। वकील जयदीप की
अर्चना पर नै कुनागमा। वकील जयदीप द्वारा अर्चना पर नै निवेदन
दिया गया कि अर्चना पर पत्रबली पर प्रागे कोई कामवेहरी नहीं
रखते हैं अतः नवीन वाफ पत्र करके के उपरि अधिकारी
को सुरक्षित रखते हैं अर्चना पर बिडो करत है। अतः
अतः अर्चना पर बिडो करत किया जाकर अर्चना पर कामवेहरी
इस स्तर पर समाप्त की जावे। अर्चना : अर्चना पर के को
विशे किया गया है। अतः ऐसी दिवसि अर्चना पर
पत्र 126 LPA पर कोई कामवेहरी प्रागे उपरि नही रह
जाती है। अतः अर्चना पर Oms R, CPC तथा वकील जयदीप
मॉडिड निवेदन करत किया जाकर नवीन अर्चना पर/
वाफ पर के अधिकारी को सुरक्षित रखते हैं अर्चना पर कामवेहरी
इसी स्तर समाप्त की जाती है। पत्रबली फेचल शुमार ही/
बाबर खेडम दोकर बाबर बाबर है।

उपसर्ग अधिकारी
मिनाय (अजमेर)